



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29042025-262765
CG-DL-E-29042025-262765

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 232]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 29, 2025/वैशाख 9, 1947

No. 232]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 29, 2025/VAISAKHA 9, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2025

सं. 40/2025

सा.का.नि. 271(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 139 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (बारहवां संशोधन) नियम, 2025 है ।
(2) ये 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होंगे ।
- आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल नियम कहा गया है) के नियम 12 में,
(क) उपनियम (1) में,
(i) "2024" अंक के स्थान पर, "2025" अंक रखा जाएगा ;

(ii) खंड (क) में, उपखंड (iii) में, शब्दों के लिए " शीर्ष के अधीन कोई भी हानि सम्मिलित नहीं है, "शब्द " शीर्ष के अधीन कोई भी हानि सम्मिलित नहीं है; या" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(iii) खंड (क) में, उपखंड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

‘(iv) “पूँजी अभिलाभ”, जहां निर्धारिती को धारा 112क के अधीन एक लाख पच्चीस हजार रुपये से अनधिक केवल दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ है और उसको, शीर्ष के अधीन आगे लाई गई कोई हानि या आगे ले जाई जाने वाली कोई हानि नहीं है;’

(iv) उपनियम (1) के खंड (गक) में, “किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो कारबार आय व्युत्पन्न करने वाला व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब, जो मामूली तौर पर निवासी से भिन्न निवासी है या सीमित दायित्व भागीदारी फर्म से भिन्न कोई फर्म, जो निवासी है, और ऐसी आय की संगणना, कारबार या वृत्तिक का लाभ या अभिलाभ और धारा 44कघ, धारा 44कघक में निर्दिष्ट विशेष उपबंधों के अनुसार आय की संगणना की जाती है और ऐसी आय की संगणना के लिए अधिनियम की धारा 44कड सुगम (आई टी आर-4) प्ररूप होना चाहिए ।” शब्दों, अंकों, अक्षरों और कोष्ठकों के स्थान पर, “किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो कोई व्यष्टि या कोई हिन्दू अविभक्त कुटुंब, जो मामूली तौर पर निवासी से भिन्न निवासी है, या सीमित दायित्व भागीदारी फर्म से भिन्न कोई फर्म है, जो निवासी है, और,--

(i) जिसकी आय “कारबार या वृत्ति के लाभ या अभिलाभ” शीर्ष के अधीन व्युत्पन्न होती है और ऐसी आय की संगणना, ऐसी आय की संगणना के लिए अधिनियम की धारा 44कघ, धारा 44कघक और धारा 44कड में निर्दिष्ट विशेष उपबंधों के अनुसार की जाती है ; और

(ii) “पूँजी अभिलाभ”, यदि कोई हो, जहां निर्धारिती को धारा 112क के अधीन एक लाख पच्चीस हजार रुपये से अनधिक केवल दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ है,

प्ररूप सुगम (आई टी आर-4) में होगी और उसमें उपदर्शित रीति में सत्यापित की जाएगी ।” शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ख) उपनियम (5) में, “2023” अंकों के स्थान पर, “2024” अंक रखे जाएंगे।

3. नियम 11ख में, “प्ररूप सं0 1खक में घोषणा फाइल करे” शब्दों के पश्चात्, “और उसे आय की विवरण के साथ प्रस्तुत करेगा” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

4. मूल नियमों के परिशिष्ट 2 में,--

(क) प्ररूप आईटीआर-1 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

प्ररूप	आईटीआर -1 सहज	भारतीय आय-कर विवरणी	निर्धारण वर्ष						
			2	0	2	5	-	2	6
		[ऐसे व्यक्ति के लिए, जो निवासी (मामूली तौर पर निवासी से भिन्न) है, जिसकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है और जिसकी वेतन, एक गृह संपत्ति, अन्य स्रोतों (ब्याज आदि), धारा 112क के अधीन 1.25 लाख रुपए तक दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ और 5 हजार रुपये तक की कृषि आय से आय है] [ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं, जो या तो किसी कंपनी में निदेशक है या जिसने गैर-सूचीबद्ध साम्य शेयरों में निवेश किया है या ऐसी दशाओं में, जहां 194६ के अधीन स्रोत पर कर काटा गया है या यदि ईएसओपी पर आय-कर स्थगित है] या जिसकी भारत से बाहर अवस्थित संपत्ति (जिसमें किसी अस्तित्व में वित्तीय हित भी है) (पात्रता के लिए निर्देश देखें)							

[illegible]

(क20) क्या आप नई कर व्यवस्था से बाहर रहने के लिए धारा 115 खकग (6) के अधीन विकल्प का उपयोग करना चाहते हैं? (डिफॉल्ट "नहीं" है) ☐ हाँ ☐ नहीं	
(क21) क्या आप धारा 139(1) के सातवें परंतुक के अधीन आय-कर विवरणी फाइल कर रहे हैं, लेकिन अन्यथा आय-कर विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है? - (टिक) ☐ हाँ ☐ नहीं यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें [टिप्पण: केवल तभी भरा जाना चाहिए, जब किसी व्यक्ति द्वारा धारा 139(1) के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है, लेकिन धारा 139(1) के सातवें परंतुक में उल्लिखित एक या अधिक शर्तों को पूरा करने के कारण वह आय का विवरणी फाइल कर रहा है]]	
(i) क्या आपने अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपये से अधिक की राशि या कुल राशि का व्यय किया है? (हां नहीं)	धनराशि (रु) (यदि हाँ है)
(ii) क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान बिजली की खपत पर 1 लाख रुपये से अधिक की राशि या कुल राशि का व्यय किया है। (हां नहीं)	धनराशि (रु) (यदि हाँ है)
(iii) क्या आपको धारा 139(1) के सातवें उपबंध के खंड (iv) के अधीन विहित अन्य शर्तों के अनुसार विवरणी फाइल करना आवश्यक है (यदि हां, तो कृपया ड्रॉप डाउन मेनू से सुसंगत शर्त का चयन करें)	(टिक) ☐ हाँ ☐ नहीं

भाग ख सकल कुल आय					केवल पूरा रुपया (₹)	
ख1	i	सकल वेतन (iक + iख + iग+ iघ+ iङ)			i	
वेतन/पेंशन	क	धारा 17(1) के अनुसार वेतन	iक			
	ख	धारा 17(2) के अनुसार अनुलाभों का मूल्य	iख			
	ग	धारा 17(3) के अनुसार वेतन के बदले लाभ	iग			
	घ	धारा 89क के अधीन अधिसूचित देश में रखे गए सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय (देश ड्रॉप डाउन ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किया जाएगा)	iघ			
	ङ	धारा 89क के अधीन अधिसूचित देश के अलावा किसी अन्य देश में रखे गए सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय	iङ			
	ii	धारा 10 के अधीन छूट की सीमा तक कम भते (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन) (सुनिश्चित करें कि यह वेतन आय में सम्मिलित है) 17(1)/17(2)/17(3))			ii	
	iiक	कटौती: धारा 89क के अधीन कराधान से राहत के लिए दावा की गई आय			iiक	
	iii	शुद्ध वेतन (i - ii-iiक)			iii	
	iv	धारा 16 के अधीन कटौती (ivक + ivख + ivग)			iv	
	क	धारा 16 (iक) के अधीन मानक कटौती	ivक			
ख	16(ii) के अधीन मनोरंजन भत्ता	ivख				
ग	धारा 16(iii) के अधीन व्रत्तिक कर	ivग				

	v	'वेतन' मद के अधीन प्रभारित आय (iii - iv)			ख1		
ख2	लागू विकल्प पर टिक करें ☐ स्व-कब्जे ☐ किराए पर ☐ किराए पर समझा गया						
गृह संपत्ति	i	वर्ष के दौरान प्राप्त/प्राप्य/अनुपयोज्य/अनुमति योग्य मूल्य			i		
	ii	स्थानीय प्राधिकारियों को कर का भुगतान किया गया	ii				
	iii	वार्षिक मूल्य (i - ii)			iii		
	iv	वार्षिक मूल्य का 30%	iv				
	v	उधार ली गई पूंजी पर देय ब्याज (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)			v		
	vi	वर्ष के दौरान प्राप्त बकाया/अप्राप्त किराया 30% से कम			vi		
	vii	गृह संपत्ति ' (iii - iv - v) + vi (यदि हानि हो, तो आंकड़े को नकारात्मक में रखें) के अधीन प्रभारित आय टिप्पण: - गृह संपत्ति से अधिकतम नुकसान जो मुजरा किया जा सकता है वह 2,00,000 रुपए है। अग्रणीत और मुजरा हानि का लाभ उठाने के लिए, कृपया आईटीआर -2 का उपयोग करें			ख2		
ख3	अन्य स्रोतों से आय (बचत खाते, जमा आदि से ब्याज जैसे बचत खाते, जमा आदि को ई-फाइलिंग उपयोगिता में आय की प्रकृति को निर्दिष्ट करते हुए प्रदान किया जाना है और धारा 89क के अधीन अधिसूचित देश में रखे गए लाभांश आय और सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय के मामले में, धारा 234 ग से लागू राहत की अनुमति देने के लिए तिमाही विवरण का उल्लेख करें)					ख3	
	कटौती: धारा 57 (ii क) के अधीन कटौती (केवल कुटुंब पेंशन के मामले में)						
	कटौती: धारा 89क के अधीन कराधान से राहत के लिए दावा की गई आय						
ख4	सकल कुल आय (ख1 + ख2 +ख3) (यदि हानि हो, तो आंकड़े को नकारात्मक में रखें) टिप्पण: हानि के अग्रेषण व समुच्चयन का लाभ उठाने के लिए, कृपया आईटीआर -2 का उपयोग करें					ख4	

भाग ग - कटौती और कर योग्य कुल आय (आय-कर अधिनियम के अनुसार कटौती सीमा के लिए निर्देश देखें)

80ग (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	80गगग (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	80गगघ(1) (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	80गगघ(1ख) (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	80गगघ(2) (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	80गगज	80घ (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	80घघ (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	80घघख (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	80ड (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	80डड (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)
--	--	---	--	---	-------	--	---	--	--	---

80डडक (ई- फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	80डडख (ई- फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	80छ (ई- फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	80छछ (ई- फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	80छछक (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	80छछग (ई- फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	80ननक	80ननख	80प (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	ई-फाइलिंग उपयोगिता के अनुसार कोई अन्य कटौती (ई- फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	
कुल कटौती					ग1				कुल आय (बी4-ग1)	ग2
रिपोर्टिंग उद्देश्य के लिए छूटप्राप्त आय और आय, जिस पर कोई कर संदेय नहीं है					ई-फाइलिंग उपयोगिता में छूटप्राप्त आय की प्रकृति, सुसंगत खंड और धारा का उल्लेख करते हुए ड्रॉप डाउन प्रदान किया जाना चाहिए					
आय, जिस पर कोई कर संदेय नहीं है :										
i. कुल विक्रय प्रतिफल										
ii. अर्जन की कुल लागत										
iii. धारा 112क के अनुसार दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ										

भाग घ - संदेय देय कर की संगणना									
घ1	कुल आय पर देय कर		घ2	धारा 87ए के अधीन छूट		घ3	छूट के पश्चात कर		
घ4	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर @ घ3 पर 4%		घ5	कुल कर और उपकर		घ6	धारा 89 के अधीन राहत (कृपया इस राहत का दावा करने के लिए प्ररूप 10ड जमा करना सुनिश्चित करें)		
घ7	धारा 234क के अधीन ब्याज		घ8	धारा 234ख के अधीन ब्याज		घ9	धारा 234ग के अधीन ब्याज		
घ10	234घ के अधीन शुल्क		घ11	कुल कर, शुल्क और ब्याज (घ5 + घ7 + घ8 + घ9 + घ10 - घ6)					
घ12	भुगतान किए गए कुल कर		घ13	देय राशि (घ11-घ12) (यदि घ11>घ12)		घ14	प्रतिदाय (घ12-घ11) (यदि घ12>घ11)		
भाग ड - अन्य जानकारी									
पूर्ववर्ष के दौरान किसी भी समय भारत में रखे गए सभी बैंक खातों का विवरण (निष्क्रिय खातों को छोड़कर)									
क्र. सं.	बैंक का आईएफएस कोड	बैंक का नाम		खाता संख्या		खाते का प्रकार (ई- फाइलिंग उपयोगिता		धनवापसी उधार के लिए खाते का चयन करें	

				द्वारा प्रदान किया जाने वाला ड्रॉपडाउन)	
I					
1. निष्क्रिय खातों को छोड़कर, किसी भी समय खोले गए सभी बैंक खातों की रिपोर्ट देनी होगी। 2. उधार प्रतिदाय के लिए न्यूनतम एक खाते का चयन किया जाना चाहिए। 3. यदि एक से अधिक खाते चुने गए हैं तो विवरणी की प्रक्रिया के बाद भी सीपीसी द्वारा तय किए गए मान्य खातों में से एक में प्रतिदाय का भुगतान कर दिया जाएगा।					

अनुसूची-आईटी अग्रिम कर और स्व-निर्धारण कर भुगतान का विवरण																												
					बीएसआर कोड				जमा करने की तारीख (ता/माह/वर्ष)				चालान का सीरियल नंबर				कर का भुगतान											
					स्तंभ (1)				स्तंभ (2)				स्तंभ (3)				स्तंभ (4)											
आर1																												
आर 2																												
					अनुसूची-टीडीएस -- टीडीएस/टीसीएस का विवरण [कटौतीकर्ता(ओं)/नियोक्ता(ओं) द्वारा जारी प्ररूप 16/16क/16ग/27घ के अनुसार]																							
	कटौतीकर्ता/कलेक्टर का टैन या किरायेदार की पैन/आधार संख्या				कटौतीकर्ता/कलेक्टर/ किरायेदार का नाम				धारा, जिसके अधीन स्रोत पर कर कटौती की गई है				सकल भुगतान/प्राप्ति जो कर कटौती/संग्रह के अधीन हो ।				कर कटौती/संग्रहण का वर्ष				कटौती/संगृहीत किया गया कर				(5) में से इस वर्ष दावा किए गए टीडीएस/टीसीएस जमा			
	स्तंभ (2)				स्तंभ (3क)				स्तंभ (3ख)				स्तंभ (4)				स्तंभ (5)				स्तंभ (6)				स्तंभ (7)			
टी																												
टी																												

सत्यापन

प्राप्तकर्ता पदधारी की स्टाम्प रसीद संख्या, मुहर, तारीख और हस्ताक्षर

मैं,..... पुत्र/पुत्री सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं कि जहां तक मेरी जानकारी और विश्वास है, विवरणी में दी गई जानकारी सही और पूर्ण है और आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार है। मैं आगे घोषणा करता हूं कि मैं _____ के प्ररूप में अपनी क्षमता में यह विवरणी दे रहा हूं (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किया जाने वाला ड्रॉप डाउन) और मैं इस विवरणी को बनाने और इसे सत्यापित करने के लिए भी सक्षम हूं। मेरे पास स्थायी खाता संख्या है। (कृपया निर्देश देखें)।

तारीख:

हस्ताक्षर:

। यदि विवरणी कर विवरणी तैयार करने वाले (टीआरपी) द्वारा तैयार किया गया है, तो नीचे और विवरण दें :

टीआरपी की पहचान संख्या	टीआरपी का नाम	टीआरपी के काउंटर हस्ताक्षर
यदि टीआरपी सरकार से किसी प्रतिपूर्ति की हकदार है, तो उसकी राशि		

(ख) प्ररूप आईटीआर -4 सुगम के लिए, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

प्ररूप	आईटीआर -4 सुगम	भारतीय आय-कर विवरणी	निर्धारण वर्ष
		[ऐसे व्यक्ति, एचयूएफ और फर्मो (एलएलपी से भिन्न), के लिए, जो निवासी है, जिसकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है और जिसकी कारबार और वृत्ति से आय है, जो धारा 44कघ, धारा 44कघक या धारा 44कड के अधीन संगणित है, और जिसको धारा 112क के अधीन 1.25 लाख रुपए तक दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ है] [ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं, जो या तो किसी कंपनी में निदेशक है या जिसने गैर-सूचीबद्ध साम्य शेयरों में निवेश किया है या यदि ईएसओपी पर आय-कर स्थगित है या जिसकी 5000 रुपये से अधिक कृषि आय है या जिसकी भारत से बाहर अवस्थित संपत्ति (जिसमें किसी अस्तित्व में वित्तीय हित भी हैं) है] (पात्रता के लिए निर्देश देखें)	

भाग क साधारण जानकारी											
(क1) प्रथम नाम		(क2) मध्य नाम				(क3) अंतिम नाम			(क4) स्थायी खाता संख्या		
(क5) जन्म तारीख/ गठन (ता./माह/वर्ष)									(क6) फ्लैट/दरवाजा/ब्लॉक नं..		
(क7) परिसर/भवन/गांव का नाम						(क8) सड़क/गली/पोस्ट ऑफिस			(क9) क्षेत्र/स्थानीयता		
(क10) शहर/शहर/जिला				(क11) राज्य		(क12) देश		(क13) पिन कोड/ज़िप कोड			
(क14) आधार नंबर (12 अंक)									(क15) प्रास्थिति		
									व्यष्टि ☐ एचयूएफ ☐ फर्म ☐		
									(क18) ईमेल पता -1 (स्वयं)		
									ईमेल पता -2		
(क19) रोजगार की प्रकृति - ☐ केंद्रीय सरकार ☐ राज्य सरकार ☐ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ☐ पेंशनभोगी-सीजी ☐ पेंशनभोगी-एसजी ☐ पेंशनभोगी-पीएसयू ☐ पेंशनभोगी- अन्य ☐ अन्य ☐ लागू नहीं (उदा. कुटुंब पेंशन आदि.)											
(क20)(क) यू/एस द्वारा फाइल (टिक)						☐ 139(1)- नियत तारीख पर या उससे पूर्व, ☐ 139(4)- नियत तारीख के पश्चात, ☐ 139(5)- संशोधित विवरणी, ☐ 119(2)(ख)- देरी की माफी के पश्चात					
[कृपया निर्देश देखें]											

(ख) या धारा के अधीन नोटिस के उत्तर में फाइल किया गया	☐ 139(9) ☐ 142(1) ☐ 148 ☐ 153ग													
(क21) यदि पुनर्शिक्षित/दोषपूर्ण है तो मूल विवरणी की रसीद संख्या और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख (ता./माह/वर्ष) दर्ज करें।													/	/
(क22) यदि धारा 139(9)/142(1)/148/153ग के अधीन नोटिस या धारा 119(2)(ख) के अधीन आदेश के उत्तर में फाइल किया जाता है दिया जाता है - विशिष्ट संख्या/दस्तावेज पहचान संख्या (डीआईएन) और ऐसे नोटिस या आदेश की तारीख दर्ज करें।													/	/
(क23) क्या आपने निर्धारण वर्ष 2024-25 में धारा 115खकग(6) के अधीन प्ररूप 10-1डक में नई कर व्यवस्था से बाहर रहने के विकल्प का प्रयोग किया है? (क) ☐ हां (यदि 'हां', तो कृपया निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए प्ररूप 10-1डक प्रस्तुत करने की तारीख और पावती संख्या प्रदान करें) क्या आप वर्तमान निर्धारण वर्ष के लिए नई कर व्यवस्था से बाहर रहना जारी रखना चाहते हैं? ☐ हां ☐ नहीं (यदि 'नहीं' तो कृपया निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए प्ररूप 10-1डक दाखिल करने की तारीख और पावती संख्या प्रदान करें) (ख) ☐ नहीं (कृपया नहीं चुनें, भले ही प्ररूप 10-1डक को निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए नियत तारीख के बाद दाखिल किया गया हो) क्या आप वर्तमान निर्धारण वर्ष के लिए नई कर व्यवस्था से बाहर निकलना चाहते हैं? ☐ हां ☐ नहीं (यदि 'हां' तो कृपया वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्ररूप 10-1डक दाखिल करने की तारीख और पावती संख्या प्रदान करें) (ग) ☐ लागू नहीं (वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आई.टी.आर. प्ररूप 1/ प्ररूप 2 में दाखिल किया गया था) क्या आप वर्तमान निर्धारण वर्ष के लिए नई कर व्यवस्था से बाहर निकलना चाहते हैं? ☐ हां ☐ नहीं (यदि 'हां' तो कृपया वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्ररूप 10-1डक दाखिल करने की तारीख और पावती संख्या प्रदान करें) टिप्पण- धारा 115खकग(6) के तहत विकल्प प्ररूप 10-1डक में धारा 139(1) के तहत रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख को या उससे पहले किया जाना चाहिए।														
(क24) क्या आप धारा 139(1) के सातवें परंतुक के अधीन आय-कर विवरणी फाइल कर रहे हैं, लेकिन अन्यथा आय-कर विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है? (फर्म के मामले में लागू नहीं) - (टिक) ☐ हाँ ☐ नहीं यदि हां, तो कृपया ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान की गई निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें [टिप्पण: केवल तभी भरा जाना चाहिए, जब किसी व्यक्ति द्वारा धारा 139(1) के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है, लेकिन धारा 139(1) के सातवें परंतुक में उल्लिखित एक या अधिक शर्तों को पूरा करने के कारण वह आय का विवरणी फाइल कर रहा है]														
(i) क्या पिछले वर्ष के दौरान एक या अधिक चालू खाते में आपने 1 करोड़ रुपये से अधिक की राशि या कुल राशि जमा की है ? (हां नहीं)												धनराशि (रु) (यदि हाँ है)		
(ii) क्या आपने अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपये से अधिक की राशि या कुल राशि का व्यय किया है।? (हां नहीं)												धनराशि (रु) (यदि हाँ है)		
(iii) क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान बिजली की खपत पर 1 लाख रुपये से अधिक की राशि या कुल राशि का व्यय किया है। (हां नहीं)												धनराशि (रु) (यदि हाँ है)		
(iv) क्या आपको धारा 139(1) के सातवें उपबंध के खंड (iv) के अधीन विहित अन्य शर्तों के अनुसार विवरणी फाइल करना आवश्यक है (यदि हां, तो कृपया डॉप डाउन मेनू से सुसंगत शर्त का चयन करें)												(टिक) ☐ हाँ ☐ नहीं		
(ए25) क्या यह विवरणी किसी प्रतिनिधि द्वारा फाइल की जा रही है ? (टिक) ☐ हाँ ☐ नहीं (यदि हाँ, तो कृपया निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें)-														
(1)	प्रतिनिधि का नाम													

(2)	प्रतिनिधि की हैसियत
(3)	प्रतिनिधि का पता
(4)	प्रतिनिधि का स्थायी खाता संख्या (पैन)/आधार नंबर

भाग ख सकल कुल आय				केवल पूरे - रुपया (₹)	
ख1	व्यवसाय और पेशे से आय (टिप्पण-अनुसूची बीपी के ई 8 से मूल्य दर्ज करें)			ख1	
ख2	i सकल वेतन (i+ख+ग+घ+ङ)_			i	
वेतन/पेंशन	क	धारा 17(1) के अनुसार वेतन	ik		
	ख	धारा 17(2) के अनुसार अनुलाभों का मूल्य	ix		
	ग	धारा 17(3) के अनुसार वेतन के बदले लाभ	ig		
	घ	धारा 89क के अधीन अधिसूचित देश में रखे गए सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय (देश ड्रॉप डाउन ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किया जाएगा)	ig		
	ङ	धारा 89क के अधीन अधिसूचित देश के अलावा किसी अन्य देश में रखे गए सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय	id		
	ii	धारा 10 के अधीन छूट की सीमा तक कम भते (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन) [सुनिश्चित करें कि यह 17 (1)/17 (2)/17 (3) के अधीन वेतन आय में सम्मिलित है]।		ii	
	iiiअ	घटाएँ: धारा 89क के अधीन कराधान से राहत के लिए दावा की गई आय		iiiअ	
	iii	शुद्ध वेतन (i - ii-iiक)		iii	
	iv	धारा 16 के अधीन कटौती (ivक + ivख+ivग)		iv	
	क	धारा 16(आईए) के अधीन एक मानक कटौती	ivक		
	ख	धारा 16(ii) के अधीन मनोरंजन भत्ता	ivख		
	ग	धारा 16(iii) के अधीन व्यावसायिक कर	ivग		
	v	वेतन' शीर्षक के अधीन प्रभारित आय (iii - iv) (टिप्पण - "अनुसूची टीडीएस1" भरना सुनिश्चित करें)		ख2	
ख3	लागू विकल्प पर टिक करें स्वतः कब्जा ☐ किराए पर ☐ किराए पर समझा गया जाए ☐				
गृह संपत्ति	i	वर्ष के दौरान प्राप्त/प्राप्य/अनुपयोज्य/अनुमति योग्य मूल्य		i	
	ii	स्थानीय अधिकारियों को भुगतान किया गया कर	ii		
	iii	वार्षिक मूल्य (i - ii)		iii	
	iv	वार्षिक मूल्य का 30%	iv		
	v	उधार ली गई पूंजी पर देय ब्याज (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	v		
	vi	वर्ष के दौरान प्राप्त बकाया/अवसूल किराया 30% से कम	vi		

	vii	गृह संपत्ति' (iii - iv - v) + vi (यदि हानि हो, तो आंकड़े को नकारात्मक में रखें) शीर्षक के अधीन प्रभार्य आय: - गृह संपत्ति से अधिकतम नुकसान जो मुजरा किया जा सकता है वह 2,00,000 रुपए है। अग्रणीत और मुजरा हानि का लाभ उठाने के लिए, कृपया आईटीआर -3/5 का उपयोग करें।	ख 3	
ख4		आय की प्रकृति को निर्दिष्ट करते हुए ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान की जाने वाली बचत खाते, जमा आदि से ब्याज जैसे अन्य स्रोतों से आय में कमी आती है और धारा 89क के अधीन अधिसूचित देश में रखे गए लाभान्ध और सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय के मामले में, धारा 234ग टिप्पण से लागू राहत की अनुमति देने के लिए तिमाही विवरण का उल्लेख करें- टिप्पण - यदि लागू हो तो "एसएच टीडीएस 2" भरें।	ख4	
		कम: धारा 57 (iiक) के अधीन कटौती (केवल कुटुंब पेंशन के मामले में)		
		कम: धारा 89क के अधीन कराधान से राहत के लिए दावा की गई आय		
ख5		सकल कुल आय (ख1 + ख2 + ख3 + ख4) नुकसान के सेट और आगे बढ़ने का लाभ उठाने के लिए, कृपया आईटीआर -3/5 का उपयोग करें।	ख5	

भाग ग- कटौती और कर योग्य कुल आय (आय-कर अधिनियम के अनुसार कटौती सीमा के लिए निर्देशों को देखें)

ग1	80ग	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	ग2	80गगग	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	ग3	80गगघ (1)	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	
ग4	80गगघ (1ख)	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	ग5	80गगघ (2)	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	ग6	80घ	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	
ग7	80घघ	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	ग8	80घघख	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	ग9	80ड	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	
ग10	80डड	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	ग11	80डडक	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	ग12	80डडख	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	
ग13	80छ	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	ग14	80छछ	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	ग15	80छछग (विवरण ई-फाइलिंग यूटिलिटी में प्रदान किए)	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	

							जाने वाले ड्रॉप डाउन में भरना होगा)		
ग16	80ननक		ग17	80ननख		ग18	80प	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	
ग18क	80गगज		ग18ख	ई-फाइलिंग उपयोगिता के अनुसार कोई अन्य कटौती	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)				
ग19	कुल कटौतियां (ग1 से ग18ख तक मद जोड़ें)							ग19	
ग20	कराधेय कुल आय (ख5 - ग19)							ग20	

भाग घ - कर संगणना और कर प्रास्थिति

घ1	कुल आय पर देय कर (ग20)	घ1	
घ2	87क पर छूट	घ2	
घ3	छूट के पश्चात् देय कर (घ1-घ2)	घ3	
घ4	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर @ [(घ)3 का 4%]	घ4	
घ5	कुल कर, और उपकर (घ3 + घ4)	घ5	
घ6	धारा 89 के अधीन अनुतोष (कृपया इस अनुतोष का दावा करने के लिए प्ररूप 10 ड जमा करना सुनिश्चित करें)	घ6	
घ7	अनुतोष के पश्चात् शेष कर (घ5 - घ6)	घ7	
घ8	धारा 234क के अधीन कुल ब्याज	घ8	
घ9	धारा 234ख के अधीन कुल ब्याज	घ9	
घ10	धारा 234ग के अधीन कुल ब्याज	घ10	
घ11	धारा 234च के अधीन फीस	घ11	
घ12	कुल कर, फीस और ब्याज (घ7 + घ8 + घ9 + घ10 + घ11)	घ12	
घ13	कुल अग्रिम कर का संदाय	घ13	
घ14	कुल स्व- निर्धारण कर का संदाय	घ14	
घ15	कुल दावाकृत टीडीएस (अनुसूची-टीडीएस 1 के स्तंभ 4 और अनुसूची-टीडीएस 2 के स्तंभ 6 का कुल योग)	घ15	
घ16	कुल संगृहीत टीसीएस (अनुसूची-टीसीएस के स्तंभ (5) का कुल)	घ16	
घ17	संदाय किए गए कुल कर (घ13 + घ14 + घ15 + घ16)	घ17	
घ18	देय रकम (घ12 - घ17, यदि घ12 > घ17)	घ18	
घ19	प्रतिदाय (घ17 - घ12, यदि घ17 > घ12)	घ19	

घ20	केवल रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए छूटप्राप्त आय (यदि कृषि आय 5,000/- रुपये से अधिक है, तो आईटीआर 3/5 का उपयोग करें) और आय, जिस पर कोई कर संदेय नहीं है (छूट प्राप्त आय की प्रकृति, सुसंगत खंड और धारा का उल्लेख करते हुए ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान की जाने वाली ड्रॉप डाउन)	घ20	
घ21	आय, जिस पर कोई कर संदेय नहीं है : धारा 112क के अनुसार दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ, जो आय-कर से प्रभार्य नहीं है		
	i. कुल विक्रय प्रतिफल		
	ii. अर्जन की कुल लागत		
	iii. धारा 112क के अनुसार दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ		

क्र.सं.	घ21 पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय भारत में रखे गए सभी बैंक खातों का विवरण (निष्क्रिय खातों को छोड़कर)					
	क्र.सं.	बैंक का आईएफएस	बैंक का नाम	खाता संख्या	बैंक खाते का प्रकार (ई-फाइलिंग उपयोगिता द्वारा प्रदान किया जाने)	प्रतिदाय जमा के लिए खाते का चयन करें
	i					
	ii					
1. निष्क्रिय खातों को छोड़कर, किसी भी समय धारित सभी बैंक खातों की रिपोर्ट करनी होगी । 2. प्रतिदाय जमा के लिए न्यूनतम एक खाते का चयन किया जाना चाहिए । 3. यदि एक से अधिक खाते चुने गए हैं तो विवरणी की प्रक्रिया के बाद भी सीपीसी द्वारा तय किए गए मान्य खातों में से एक में प्रतिदाय का भुगतान कर दिया जाएगा ।						

अनुसूची बीपी - कारबार या वृत्ति से आय का विवरण				
धारा 44कघ के अधीन उपधारित कारबार आय की संगणना				
क्र.सं.	व्यवसाय का नाम		व्यवसाय कोड	विवरण:
(i)				
ड1	सकल आवर्त या सकल प्राप्तियां (ड1 2 करोड़ रु. तक सीमित है, तथापि यदि [ड1ख + ड1ग], ड1 के 5% से कम या बराबर है तो ड1 के अधीन सीमा 3 करोड़ रु. तक बढ़ा दी जाती है।			
	क	आदाता चेक या आदाता बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली के माध्यम से प्राप्त या निर्दिष्ट तारीख से पहले प्राप्त या निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से		ड1क
	ख	नकद में प्राप्तियां		ड1ख
	ग	क और ख से भिन्न किसी अन्य पद्धति		ड1ग
ड2	धारा 44कघ के अधीन उपधारित आय			
	क	ड1क का 6% या अर्जित की गई रकम, जो भी अधिक हो,		ड2क
	ख	(ड1ख + ड1ग) का 8% या अर्जित की गई रकम का दावा किया गया है, जो भी अधिक हो।		ड2ख
	ग	कुल (क + ख)		ड2ग
टिप्पण- यदि आय सकल प्राप्तियों के उपरोक्त प्रतिशत से कम है, तो 44कख के अधीन कर लेखा परीक्षा करना अनिवार्य है और लागू अन्य आईटीआर फाइल किया जाना चाहिए।				

धारा 44कघक के अधीन कारबार से उपधारित आय की संगणना				
क्र.सं.	व्यवसाय का नाम		व्यवसाय कोड	विवरण:
(i)				
ड3	सकल प्राप्तियां (ड3 50 लाख रु.तक सीमित है, तथापि यदि ड3ख + ड3ग ड3 के 5% से कम या बराबर है तो ड3 के अधीन सीमा 75 लाख रुपये तक बढ़ा दी जाती है।		ड3	
	क	आदाता चेक या आदाता बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली के माध्यम से प्राप्त या निर्दिष्ट तारीख से पहले प्राप्त या निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से	ड3क	
	ख	नकद में प्राप्तियां	ड3ख	
	ग	क और ख से भिन्न किसी अन्य पद्धति	ड3ग	
ड4	धारा 44कघक के अधीन उपधारित आय (ई 3 का 50%) या अर्जित की गई रकम, जो भी अधिक हो। टिप्पण- यदि आय सकल प्राप्तियों के 50% से कम है, तो 44कख के अधीन कर लेखा परीक्षा करना अनिवार्य है और लागू अन्य आईटीआर फाइल किया जाना चाहिए।		ड4	
धारा 44कड के अधीन माल गाड़ियों से उपधारित आय की संगणना				
क्र.सं.	व्यवसाय का नाम		व्यवसाय कोड	विवरण:
(i)				
	माल गाड़ियों की रजिस्ट्रीकरण संख्या	चाहे स्वामित्व/ पट्टे पर लिया गया हो / किराए पर लिया गया हो	माल ढुलाई की टन क्षमता (मीट्रिक टन में)	उन महीनों की संख्या जिनके लिए मालगाड़ी का स्वामित्व/पट्टे/निर्धारिती द्वारा किराए पर लिया गया था
	माल ढुलाई के लिए धारा 44कड के अधीन अनुमानित आय (12 मीट्रिक टन से अधिक टन भार होने पर प्रति माह @ 1000 रुपये प्रति टन या फिर @ 7500 रुपये प्रति माह) या वास्तव में अर्जित करने का दावा की गई रकम, जो भी उच्चतर हो			
(i)	(1)	(2)	(3)	(4)
(क)				
(ख)				
आवश्यकतानुसार पंक्ति विकल्प जोड़ें (वर्ष के दौरान किसी भी समय यानों की संख्या 10 यानों से अधिक नहीं होनी चाहिए) `				
ड5	धारा 44कड [स्तंभ (5)] के अधीन माल ढुलाई से अनुमानित आय टिप्पण- यदि लाभ धारा 44 कड के अधीन निर्धारित से कम है या किसी भी समय स्वामित्व वाले यानों की संख्या 10 से अधिक है, तो अन्य आईटीआर, जैसा भी लागू हो, दाखिल करना होगा।		ड5	
ड6	भागीदारों को संदाय किया गया वेतन और ब्याज टिप्पण - यह केवल फर्मों द्वारा भरा जाना है		ड6	
ड7	44कड के अधीन उपधारित आय (ड5-ड6)		ड7	
ड8	'व्यवसाय या वृत्ति ' (ड2ग + ड4 + ड7) शीर्ष के अधीन प्रभारित आय		ड8	

जीएसटी के लिए सूचित कारोबार/सकल प्राप्ति के बारे में जानकारी			
टिप्पण - कृपया प्रत्येक जीएसटीआईएन संख्या के लिए नीचे दी गई जानकारी पृथक से प्रस्तुत करें।			
ड9	जीएसटीआईएन संख्या (संख्याएं).	ड9	
ड10	फाइल की गई जीएसटी विवरणी के अनुसार बाहरी आपूर्ति का वार्षिक मूल्य	ड10	
कारबार का वित्तीय विवरण			
टिप्पण- ड11 से ड25 के लिए 31 मार्च, 2025 तक की जानकारी प्रस्तुत करें।			
ड11	भागीदारों / सदस्यों की अपनी पूंजी	ड11	
ड12	सुरक्षित ऋण	ड12	
ड13	असुरक्षित ऋण	ड13	
ड14	अग्रिम	ड14	
ड15	विविध लेनदार	ड15	
ड16	अन्य दायित्व	ड16	
ड17	कुल पूंजी और दायित्व (ड11 + ड12 + ड13 + ड14 + ड15 + ड16)	ड17	
ड18	अचल संपत्तियां	ड18	
ड19	सूची	ड19	
ड20	विविध देनदार	ड20	
ड21	बैंकों के साथ शेष रकम	ड21	
ड22	कैश-इन-हैंड	ड22	
ड23	ऋण और अग्रिम	ड23	
ड24	अन्य संपत्तियां	ड24	
ड25	कुल संपत्ति (ड18+ड19+ड20+ड21+ड22+ड23+ड24)	ड25	
टिप्पण ► कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों को देखें (ड15, ड19, ड20, ड22 अनिवार्य हैं और अन्य यदि उपलब्ध हैं)			

अनुसूची आईटी अग्रिम कर और स्व-निर्धारण कर संदाय का विवरण																			
बीएसआर कोड						जमा करने की तारीख (ता/मा/वर्ष)						चालान नं.				कर का संदाय			
स्तंभ (1)						स्तंभ (2)						स्तंभ (3)				स्तंभ (4)			
द1																			
द2																			
द3																			
टिप्पण ► घ 13 और घ 14 में अग्रिम कर और स्व-निर्धारण कर के योग दर्ज करें																			

अनुसूची टीसीएस स्रोत पर एकत्र किए गए कर का विवरण [कलेक्टर(ओं) द्वारा जारी प्ररूप 27घ के अनुसार]					
क्र.सं.	संग्रहकर्ता का कर संग्रहण खाता संख्यांक	संग्रहकर्ता का नाम	प्ररूप 26 कथ में उल्लिखित संदाय की गई रकम का विवरण	कर संग्रह	दावा की जा रही (4) रकम में से
(1)	स्तंभ (1)	स्तंभ (2)	स्तंभ (3)	स्तंभ (4)	स्तंभ (5)
i					
ii					
टिप्पण ► कृपया घ16 में अनुसूची-टीसीएस के स्तंभ (5) का कुल योग दर्ज करें					

अनुसूची टीडीएस-1 वेतन से स्रोत पर काटे गए कर का विवरण [नियोक्ता(ओं) द्वारा जारी प्ररूप 16 के अनुसार]				
	टैन	नियोक्ता का नाम	वेतन के अधीन आय	कर में कटौती
	स्तंभ (1)	स्तंभ (2)	स्तंभ (3)	स्तंभ (4)
घ1				
घ2				
घ3				
टिप्पण ► घ15 में अनुसूची-टीडीएस 1 के स्तंभ 4 और अनुसूची-टीडीएस 2 के स्तंभ 6 का कुल योग दर्ज करें				

अनुसूची टीडीएस-2 वेतन से भिन्न आय से स्रोत पर काटे गए कर का विवरण : [कटौतीकर्ता(ओं) द्वारा जारी किए गए प्ररूप 16क या प्रस्तुत किए गए प्ररूप 16ग या प्ररूप 16घ के अनुसार]									
क्र.सं.	कटौतीकर्ता का टैन/ किराएदार का पेन/ आधार संख्या	धारा, जिसके अधीन स्रोत पर कर कटौती की गई है	अदावाकृत टीडीएस अग्रणीत किया गया	वर्तमान वित्तीय वर्ष का टीडीएस	टीडीएस जमा, जिसका इस वर्ष दावा किया जा रहा है (केवल यदि इस वर्ष कर के लिए संबंधित प्राप्ति की कर के लिए पेशकश की जा रही है, यदि टीडीएस धारा 194ढ के अधीन काटा जाता है तो लागू नहीं)	पेशकश की गई तदनुसूची प्राप्ति/ निकासी	टीडीएस जमा को अग्रणीत किया जा रहा है		
			वित्तीय वर्ष, जिसमें कटौती की गई	अग्रणीत टीडीएस	कटौती किया गया टीडीएस	दावा किया गया टीडीएस	सकल रकम	आय का शीर्ष	
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

i									
ii									
टिप्पण घ15 में अनुसूची टीडीएस 2 के स्तंभ 6 और अनुसूची टीडीएस 1 के स्तंभ 4 का योग दर्ज करें।									

सत्यापन

मैं, _____ पुत्र/पुत्री _____ अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से घोषणा करता/करती हूँ कि विवरणी में दी गई सूचना सही और पूर्ण है तथा आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार है। मैं यह और घोषण करता/करती हूँ कि मैं मेरी _____ की हैसियत से (ई-फाइलिंग यूटिलिटी में डाउन लोड प्रदान किया जाए) विवरणी प्रस्तुत कर रहा हूँ और मैं इस विवरणी को प्रस्तुत करने और सत्यापन करने के लिए भी समर्थ हूँ। मैं स्थायी खाता संख्यांक _____ धारक हूँ। (कृपया निर्देश देखें)									
स्थान:						यहाँ हस्ताक्षर करें ➔			
तारीख:									
यदि विवरणी एक टैक्स विवरणी तैयार करने वाले (टीआरपी) द्वारा तैयार की गई है, तो निम्नानुसार और ब्यौरे दें:									
टीआरपी पिन (10 अंक)						टीआरपी का नाम		टीआरपी के प्रति हस्ताक्षर	
टीआरपी को संदत्त की जाने वाली रकम									

[फा. सं. 370142/3/2025-टीपीएल]

सुरबेन्दु ठाकुर, अवर सचिव, कर नीति और विधान

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) अधिसूचना संख्या का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा0कानि0 252(अ), तारीख 22 अप्रैल, 2025 द्वारा किया गया।

स्पष्टीकारक ज्ञापन : यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी रूप देने से किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th April, 2025

No. 40/2025

G.S.R. 271(E).— In exercise of the powers conferred by section 139 read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Income-tax (twelfth Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force with effect from the 1st day of April, 2025.

2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 12, —

(a) in sub-rule (1), —

(i) for the figures “2024”, the figures “2025” shall be substituted;

(ii) in clause (a), in sub-clause (iii), for the words “does not have any loss under the head, “the words “does not have any loss under the head; or” shall be substituted.

(iii) in clause (a), after sub-clause (iii), the following sub-clause shall be inserted, namely, —

“(iv) “Capital gains”, where assessee has only long-term capital gains under section 112A not exceeding one lakh twenty-five thousand rupees and does not have any brought forward loss or loss to be carried forward under the head,”

(iv) in clause (ca), for the words, figures and letters “in the case of a person being an individual or a Hindu undivided family, who is a resident other than not ordinarily resident, or a firm, other than limited liability partnership firm, which is a resident deriving income under the head “Profits or gains of business or profession” and such income is computed in accordance with special provisions referred to in section 44AD, section 44ADA and section 44AE of the Act for computation of such income, be in Form SUGAM (ITR-4) and be verified in the manner indicated therein:”, the words, figures and letters “in the case of a person being an individual or a Hindu undivided family, who is a resident other than not ordinarily resident, or a firm, other than limited liability partnership firm, which is a resident,—

(i) deriving income under the head "Profits or gains of business or profession" and such income is computed in accordance with special provisions referred to in section 44AD, section 44ADA and section 44AE of the Act for computation of such income; and;

(ii) has, "Capital gains", if any, where assessee has only long-term capital gains under section 112A not exceeding one lakh twenty-five thousand rupees,

be in Form SUGAM (ITR-4) and be verified in the manner indicated therein" shall be substituted;

(b) in sub-rule (5), for the figures "2023", the figures "2024" shall be substituted.

3. In the principal rules, in rule 11B, after the words, figures and letters "Form No. 10BA", the words "and furnish the same along with the return of income" shall be inserted.

4. In the principal rules, in Appendix II,—

(a) for FORM ITR-1, the following FORM shall be substituted, namely: —

FORM		ITR-1 SAHAJ	INDIAN INCOME TAX RETURN		Assessment Year					
			[For individuals being a resident (other than not ordinarily resident) having total income upto Rs.50 lakh and having Income from Salaries, one house property, other sources (Interest etc.), long-term capital gains under section 112A up to Rs. 1.25 lakh, and agricultural income up to Rs.5 thousand] [Not for an individual who is either Director in a company or has invested in unlisted equity shares or in cases where TDS has been deducted u/s 194N or if income-tax is deferred on ESOP or has assets (including financial interest in any entity) located outside India] (Refer instructions for eligibility)		2 0 2 5 - 2 6					
PART A GENERAL INFORMATION										
(A1) PAN	(A2) First Name		(A4) Date of Birth		(A5) Aadhaar Number (12 digits)					
	(A2a) Middle Name									
	(A3) Last name									
(A6) Mobile No.		(A7) Email Address		Address: (A8) Flat/Door/Block No. (A9) Name of Premises/Building/Village (A10) Road/Street/Post Office Area/Locality (A11) Town/City/District (A12) State (A13) Country (A14) PIN code						
(A15) Filed u/s (Tick) [Please see instruction]		☐ 139(1)-On or before due date, ☐ 139(4)-Belated, ☐ 139(5)-Revised, ☐ 119(2)(b)- After Condonation of delay		(A17) Nature of employment- ☐ Central Govt. ☐ State Govt. ☐ Public Sector Undertaking ☐ Pensioners-CG ☐ Pensioners-SG ☐ Pensioners-PSU ☐ Pensioners- Others ☐ Others ☐ Not Applicable (e.g. Family Pension etc.)						
(A16) Or Filed in response to notice u/s		☐ 139(9), ☐ 142(1), ☐ 148, ☐ 153C								
(A18) If revised/defective, then enter Receipt No. and Date of filing original return (DD/MM/YYYY)				/ /						
(A19) If filed in response to notice u/s 139(9)/142(1)/148/153C or order u/s 119(2)(b)- enter Unique Number/Document Identification Number (DIN) & Date of such Notice or Order				/ /						
(A20) Do you wish to exercise the option u/s 115BAC(6) of Opting out of new tax regime? (default is "No") ☐ Yes ☐ No										
(A21) Are you filing return of income under Seventh proviso to section 139(1) but otherwise not required to furnish return of income? - (Tick) ☐ Yes ☐ No If yes, please furnish following information [Note: To be filled only if a person is not required to furnish a return of income under section 139(1) but filing return of income due to fulfilling one or more conditions mentioned in the seventh proviso to section 139(1)]										
(i) Have you incurred expenditure of an amount or aggregate of amount exceeding Rs. 2 lakhs for travel to a foreign country for yourself or for any other person? (Yes/ No)										Amount (Rs) (If Yes)

(ii) Have you incurred expenditure of amount or aggregate of amount exceeding Rs. 1 lakh on consumption of electricity during the previous year? (Yes/No)	Amount (Rs) (If Yes)
(iii) Are you required to file a return as per other conditions prescribed under clause (iv) of seventh proviso to section 139(1) (If yes, please select the relevant condition from the drop-down menu)	(Tick) ☐ Yes ☐ No

PART B GROSS TOTAL INCOME Whole- Rupee (₹) only

SALARY / PENSION	B1	i	Gross Salary (ia + ib + ic+id+ie)				i	
			a	Salary as per section 17(1)	ia			
			b	Value of perquisites as per section 17(2)	ib			
			c	Profit in lieu of salary as per section 17(3)	ic			
			d	Income from retirement benefit account maintained in a notified country u/s 89A (country drop down will be provided in e-filing utility)	id			
			e	Income from retirement benefit account maintained in a country other than notified country u/s 89A	ie			
		ii	Less allowances to the extent exempt u/s 10 (drop down to be provided in e-filing utility) (Ensure that it is included in salary income u/s 17(1)/17(2)/17(3))				ii	
		iiia	Less: Income claimed for relief from taxation u/s 89A				iiia	
		iii	Net Salary (i – ii-iiia)				iii	
		iv	Deductions u/s 16 (iva + ivb + ivc)				iv	
			a	Standard deduction u/s 16(ia)	iva			
			b	Entertainment allowance u/s 16(ii)	ivb			
			c	Professional tax u/s 16(iii)	ivc			
		v	Income chargeable under the head 'Salaries' (iii – iv)				B1	
	B2	Tick applicable option ☐ Self-Occupied ☐ Let Out ☐ Deemed Let Out						
HOUSE PROPERTY		i	Gross rent received/ receivable/ lettable value during the year				i	
		ii	Tax paid to local authorities		ii			
		iii	Annual Value (i – ii)				iii	
		iv	30% of Annual Value		iv			
		v	Interest payable on borrowed capital (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)		v			
		vi	Arrears/Unrealised rent received during the year less 30%		vi			
		vii	Income chargeable under the head 'House Property' (iii – iv – v) + vi (If loss, put the figure in negative) Note: - Maximum loss from House Property that can be set-off is INR 2, 00,000. To avail the benefit of carry forward and set of loss, please use ITR -2				B2	
B3	Income from Other Sources (drop down like interest from saving account, deposit etc. to be provided in e-filing utility specifying nature of income and in case of dividend income and Income from retirement benefit account maintained in a notified country u/s 89A, please mention quarterly breakup for allowing applicable relief from section 234C)						B3	
	Less: Deduction u/s 57(iiia) (in case of family pension only)							
	Less: Income claimed for relief from taxation u/s 89A							
B4	Gross Total Income (B1+B2+B3) (If loss, put the figure in negative) Note: To avail the benefit of carry forward and set of loss, please use ITR -2						B4	

PART C – DEDUCTIONS AND TAXABLE TOTAL INCOME (Refer instructions for Deduction limit as per Income-tax Act)

80C (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	80CCC (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	80CCD(1) (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	80CCD(1B) (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	80CCD(2) (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	80CCH	80D (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	80DD (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	80DDB (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	80E (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	80EE (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	
--	--	---	--	---	--------------	--	---	--	--	---	--

80EEA (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	80EEB (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	80G (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	80GG (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	80GGA (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	80GGC (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	80TTA	80TTB	80U (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	Any other Deduction as per the e-filing utility (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)		
Total deductions						C1			Total Income (B4-C1)	C2	

Exempt Income For reporting purpose and Income on which no tax is payable *Drop down to be provided in e-filing utility mentioning nature of exempt income, relevant clause and section*

Income on which no tax is payable:

Long Term capital gains u/s 112A not chargeable to Income-tax

i. Total sale consideration	
ii. Total cost of acquisition	
iii. Long term capital gains as per sec 112A	

PART D – COMPUTATION OF TAX PAYABLE									
D1	Tax payable on total income		D2	Rebate u/s 87A		D3	Tax after Rebate		
D4	Health and education Cess @ 4% on D3		D5	Total Tax and Cess		D6	Relief u/s 89 (Please ensure to submit Form 10E to claim this relief)		
D7	Interest u/s 234A		D8	Interest u/s 234B		D9	Interest u/s 234C		
D10	Fee u/s 234F		D11	Total Tax, Fee and Interest (D5+D7+D8+D9+D10 – D6)					
D12	Total Taxes Paid		D13	Amount payable (D11-D12) (if D11>D12)		D14	Refund (D12-D11) (if D12>D11)		

PART E – OTHER INFORMATION

Details of all Bank Accounts held in India at any time during the previous year (excluding dormant accounts)

Sl.	IFS Code of the Bank	Name of the Bank	Account Number	Type of account (Dropdown to be provided by E-filing utility)	Select Account for Refund Credit
I					

1. All bank accounts held at any time are to be reported, except dormant A/c.

2. Minimum one account should be selected for refund credit.

3. In case multiple accounts are selected, refund will be credited to one of the validated accounts decided by CPC after processing the return.

Schedule-IT Details of Advance Tax and Self-Assessment Tax payments

		BSR Code	Date of Deposit (DD/MM/YYYY)	Serial Number of Challan	Tax paid
		Col (1)	Col (2)	Col (3)	Col (4)
R					
R					

Schedule-TDS Details of TDS/TCS [As per Form 16/16A/16C/27D issued by the Deductor(s)/ Employer(s)]

	TAN of deductor/Collector or PAN/ Aadhaar No. of the Tenant	Name of the Deductor/ Collector/Tenant	Section under which TDS is deducted	Gross payment/ receipt which is subject to tax deduction /collection	Year of tax deduction/ collection	Tax Deducted/ collected	TDS/TCS credit out of (5) claimed this Year
	Col (2)	Col (3a)	Col (3b)	Col (4)	Col (5)	Col (6)	Col (7)
T							
T							

VERIFICATION

Stamp Receipt No., Seal, I, _____ son/ daughter of _____ solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in the return is correct and complete and is in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961. I further declare that I am making this return in my capacity as _____ (drop down to be provided in e-filing utility) and I am also competent to make this return and verify it. I am holding permanent account number _____. (Please see instruction).

Date:

Signature:

If the return has been prepared by a Tax Return Preparer (TRP) give further details below:

Identification No. of TRP	Name of TRP	Counter Signature of TRP
If TRP is entitled for any reimbursement from the Government, amount thereof;		

(b) for FORM ITR-4, the following FORM shall be substituted, namely: —

“FORM	ITR-4 SUGAM	INDIAN INCOME TAX RETURN	Assessment Year					
		[For Individuals, HUFs and Firms (other than LLP) being a resident having total income upto Rs.50 lakh and having income from business and profession which is computed under sections 44AD, 44ADA or 44AE, and having long-term capital gains under section 112A upto Rs. 1.25 lakh] [Not for an individual who is either Director in a company or has invested in unlisted equity shares or if income-tax is deferred on ESOP or has agricultural income more than Rs. 5000 or has assets (including financial interest in any entity) located outside India] (Refer instructions for eligibility)	2	0	2	5	-	2

PART A GENERAL INFORMATION

(A1) First Name		(A2) Middle Name		(A3) Last Name		(A4) Permanent Account Number	
(A5) Date of Birth/Formation (DD/MM/YYYY)						(A6) Flat/Door/Block No.	
(A7) Name of Premises/ Building/ Village				(A8) Road/Street/Post Office		(A9) Area/Locality	
(A10) Town/City/District			(A11) State		(A12) Country		(A13) PIN Code/ZIP Code
(A14) Aadhaar Number (12 digits)						(A15) Status	
						Individual ☐ HUF ☐	
						Firm (other than LLP) ☐	
(A16) Residential/Office Phone Number with STD code/ Mobile No.1				(A17) Mobile No. 2		(A18) Email Address-1 (self)	
Email Address -2							
(A19) Nature of employment - ☐ Central Govt. ☐ State Govt. ☐ Public Sector Undertaking ☐ Pensioners-CG ☐ Pensioners-SG ☐ Pensioners-PSU ☐ Pensioners- Others ☐ Others ☐ Not Applicable (e.g. Family Pension etc.)							
(A20)(a) Filed u/s (Tick) [Please see instruction]-				☐ 139(1)-On or before due date, ☐ 139(4)-After due date, ☐ 139(5)-Revised Return, ☐ 119(2)(b)- After Condonation of delay			
(b) Or Filed in response to notice u/s				☐ 139(9) ☐ 142(1) ☐ 148 ☐ 153C			
(A21) If revised/defective then enter Receipt No. and Date of filing of original return (DD/MM/YYYY)				/ /			
(A22) If filed in response to notice u/s 139(9) /142(1)/148/153C or order u/s 119(2)(b)- enter Unique Number/ Document Identification Number (DIN) & Date of such Notice or Order						/ /	

(A23) Have you exercised the option u/s 115BAC(6) of Opting out of new tax regime in Form 10-IEA in AY 2024-25?
 (a) ☐ Yes (If 'Yes', please furnish date of filing and Acknowledgement number of Form 10-IEA for AY 2024-25)
 Do you wish to continue to opt out of New Tax Regime for current assessment year ☐ Yes ☐ No
 (If 'No', please furnish date of filing and Acknowledgement number of Form 10-IEA for AY 2025-26)

(b) ☐ No (Please select 'No', even if Form 10IEA was filed after due date for AY 2024-25)
 Do you wish to opt out of New Tax Regime for current assessment year ☐ Yes ☐ No
 (If 'Yes', please furnish date of filing and Acknowledgement number of Form 10-IEA for AY 2025-26)

(c) ☐ Not Applicable (Return was filed in ITR Form 1/ Form 2 for AY 2024-25)
 Do you wish to opt out of New Tax Regime for current assessment year ☐ Yes ☐ No
 (If 'Yes', please furnish date of filing and Acknowledgement number of Form 10-IEA for AY 2025-26)

Note- Option under section 115BAC(6) should be exercised in Form 10IEA on or before the due date for filing return u/s 139(1).

(A24) Are you filing return of income under Seventh proviso to section 139(1) but otherwise not required to furnish return of income? (Not applicable in case of firm) - (Tick) ☐ Yes ☐ No

If yes, please furnish following information as provided in e-filing utility

[Note: To be filled only if a person is not required to furnish a return of income under section 139(1) but filing return of income due to fulfilling one or more conditions mentioned in the seventh proviso to section 139(1)]

(i) Have you deposited amount or aggregate of amounts exceeding Rs. 1 Crore in one or more current account during the previous year? (Yes/No)	Amount (Rs) (If Yes)
(ii) Have you incurred expenditure of an amount or aggregate of amount exceeding Rs. 2 lakhs for travel to a foreign country for yourself or for any other person? (Yes/ No)	Amount (Rs) (If Yes)
(iii) Have you incurred expenditure of amount or aggregate of amount exceeding Rs. 1 lakh on consumption of electricity during the previous year? (Yes/No)	Amount (Rs) (If Yes)
(iv) Are you required to file a return as per other conditions prescribed under clause (iv) of seventh proviso to section 139(1) (If yes, please select the relevant condition from the drop-down menu)	(Tick) ☐ Yes ☐ No

(A25) Whether this return is being filed by a representative assessee? (Tick) ☒ Yes ☐ No

If yes, please furnish following information -

(1) Name of the representative
(2) Capacity of the representative
(3) Address of the representative
(4) Permanent Account Number (PAN)/ Aadhaar No. of the representative

PART B GROSS TOTAL INCOME Whole- Rupee(₹) only

B1	Income from Business & Profession (NOTE-Enter value from E8 of Schedule BP)	B1	
B2	i Gross Salary (ia+ib+ic+id+ie)	i	
SALARY / PENSION	a Salary as per section 17(1)	ia	
	b Value of perquisites as per section 17(2)	ib	
	c Profit in lieu of salary as per section 17(3)	ic	
	d Income from retirement benefit account maintained in a notified country u/s 89A (country drop down will be provided in e-filing utility)	id	
	e Income from retirement benefit account maintained in a country other than notified country u/s 89A	ie	
	ii Less allowances to the extent exempt u/s 10 (drop down to be provided in e-filing utility) [Ensure that it is included in salary income u/s 17(1)/17(2)/17(3)]	ii	
	iii Less: Income claimed for relief from taxation u/s 89A	iii	
	iv Net Salary (i – ii-iii)	iv	
	v Deductions u/s 16 (iva + ivb+ivc)	v	
	a Standard deduction u/s 16(ia)	iva	
HOUSE PROPERTY	b Entertainment allowance u/s 16(ii)	ivb	
	c Professional tax u/s 16(iii)	ivc	
	v Income chargeable under the head 'Salaries' (iii – iv) (NOTE- Ensure to Fill "Sch TDS1")	B2	
	Tick applicable option: Self Occupied ☐ Let Out ☐ Deemed Let Out ☐		
	i Gross rent received/ receivable/ lettable value during the year	i	
	ii Tax paid to local authorities	ii	
	iii Annual Value (i – ii)	iii	
	iv 30% of Annual Value	iv	
	v Interest payable on borrowed capital (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	v	
	vi Arrears/Unrealized Rent received during the year Less 30%	vi	
	vii Income chargeable under the head 'House Property' (iii – iv – v) + vi	B3	

	(If loss, put the figure in negative) Note:-Maximum loss from house property that can be set-off is INR 2, 00,000. To avail the benefit of carry forward and set of loss, please use ITR -3/5.		
B4	Income from Other Sources drop down like interest from saving account, deposit etc. to be provided in e-filing utility specifying nature of income and in case of dividend and Income from retirement benefit account maintained in a notified country u/s 89A, please mention quarterly breakup for allowing applicable relief from section 234C NOTE- Fill “Sch TDS2” if applicable.	B4	
	Less: Deduction u/s 57(iia) (in case of family pension only)		
	Less: Income claimed for relief from taxation u/s 89A		
B5	Gross Total Income (B1+B2+B3+B4) To avail the benefit of carry forward and set of loss, please use ITR -3/5.	B5	

PART C—DEDUCTIONS AND TAXABLE TOTAL INCOME (Refer to instructions for Deductions limits as per Income-tax Act)									
C1	80C	(Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	C2	80CCC	(Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	C3	80CCD (1)	(Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	
C4	80CCD(1B)	(Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	C5	80CCD(2)	(Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	C6	80D	(Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	
C7	80DD	(Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	C8	80ddb	(Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	C9	80E	(Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	
C10	80EE	(Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	C11	80EEA	(Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	C12	80EEB	(Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	
C13	80G	(Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	C14	80GG	(Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	C15	80GGC	(Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	
C16	80TTA		C17	80TTB		C18	80U	(Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	
C18a	80CCH		C18b	Any Other deduction as per the e-filing utility	(Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)				
C19	Total deductions (Add items C1 to C18b)								C19
C20	Taxable Total Income (B5 - C19)								C20

PART D – TAX COMPUTATIONS AND TAX STATUS

D1	Tax payable on total income (C20)	D1	
D2	Rebate on 87A	D2	
D3	Tax payable after Rebate (D1-D2)	D3	
D4	Health and Education Cess @ 4% on (D3)	D4	
D5	Total Tax, and Cess (D3+D4)	D5	
D6	Relief u/s 89 (Please ensure to submit Form 10E to claim this relief)	D6	
D7	Balance Tax after Relief (D5 – D6)	D7	
D8	Total Interest u/s 234A	D8	
D9	Total Interest u/s 234B	D9	
D10	Total Interest u/s 234C	D10	

D11	Fee u/s 234F	D11	
D12	Total Tax, Fee and Interest (D7+ D8 + D9 + D10 + D11)	D12	
D13	Total Advance Tax Paid	D13	
D14	Total Self-Assessment Tax Paid	D14	
D15	Total TDS Claimed (total of column 4 of Schedule-TDS1 and, column 6 of Schedule-TDS2)	D15	
D16	Total TCS Collected (total of column (5) of Schedule-TCS)	D16	
D17	Total Taxes Paid (D13+ D14 + D15 + D16)	D17	
D18	Amount payable (D12 – D17, If D12 > D17)	D18	
D19	Refund (D17 – D12, If D17 > D12)	D19	
D20	Exempt income only for reporting purposes (If agricultural income is more than Rs. 5,000/-, use ITR 3/5) and Income on which no tax is payable (Drop down to be provided in e-filing utility mentioning nature of exempt income, relevant clause and section)	D20	
D21	Income on which no tax is payable: Long Term capital gains under section 112A not chargeable to Income-tax i. Total sale consideration ii. Total cost of acquisition iii. Long term capital gains as per section 112A		

BANK ACCOUNT	D21	Details of all Bank Accounts held in India at any time during the previous year (excluding dormant accounts)				
	Sl.	IFS Code of the Bank	Name of the Bank	Account Number	Type of bank account (Dropdown to be provided by E-filing utility)	Select Account for Refund Credit
	i					
	ii					
1. All bank accounts held at any time are to be reported, except dormant A/c. 2. Minimum one account should be selected for refund credit. 3. In case multiple accounts are selected, refund will be credited to one of the validated accounts decided by CPC after processing the return.						

SCHEDULE BP – DETAILS OF INCOME FROM BUSINESS OR PROFESSION						
COMPUTATION OF PRESUMPTIVE BUSINESS INCOME UNDER SECTION 44AD						
S. No.	Name of Business		Business code		Description	
(i)						
E1	Gross Turnover or Gross Receipts (E1 limited to Rs.2 Crores, however if [E1b+ E1c] is less than or equal to 5% of E1 then the limit under E1 is extended to Rs.3 Crores.)					
	a	Through a/c payee cheque or a/c payee bank draft or bank electronic clearing system received or prescribed electronic modes received before specified date			E1a	
	b	Receipts in Cash			E1b	
	c	Any mode other than a and b			E1c	
E2	Presumptive Income under section 44AD					
	a	6% of E1a or the amount claimed to have been earned, whichever is higher			E2a	
	b	8% of (E1b+E1c) or the amount claimed to have been earned, whichever is higher			E2b	
	c	Total (a + b)			E2c	
	NOTE—If Income is less than the above percentage of Gross Receipts, it is mandatory to have a tax audit under 44AB & other ITR as applicable has to be filed					
COMPUTATION OF PRESUMPTIVE INCOME FROM PROFESSIONS UNDER SECTION 44ADA						
S. No.	Name of Business		Business code		Description	
(i)						

E3	Gross Receipts (E3 limited to Rs.50 Lakhs, however if [E3b + E3c] is less than or equal to 5% of E3 then limit under E3 is extended to Rs.75 Lakhs.)				E3	
	a	Through a/c payee cheque or a/c payee bank draft or bank electronic clearing system received or prescribed electronic modes received before specified date			E3a	
	b	Receipts in Cash			E3b	
	c	Any mode other than a and b			E3c	
E4	Presumptive Income under section 44ADA (50% of E3) or the amount claimed to have been earned, whichever is higher NOTE—If Income is less than 50% of Gross Receipts, it is mandatory to have a tax audit under 44AB & other ITR as applicable has to be filed				E4	
COMPUTATION OF PRESUMPTIVE INCOME FROM GOODS CARRIAGES UNDER SECTION 44AE						
S. No.	Name of Business			Business code	Description	
(i)						
	<u>Registration No. of goods carriage</u>	<u>Whether owned/ leased/ hired</u>	<u>Tonnage capacity of goods carriage (in MT)</u>	<u>Number of months for which goods carriage was owned/ leased/hired by assessee</u>	<u>Presumptive income u/s 44AE for the goods carriage</u> (Computed @ Rs.1000 per ton per month in case tonnage exceeds 12MT, or else @ Rs.7500 per month) or the amount claimed to have been actually earned, whichever is higher	
(i)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
(a)						
(b)						
Add row options as necessary (At any time during the year the number of vehicles should not exceed 10 vehicles)						
E5	Presumptive Income from Goods Carriage under section 44AE [total of column (5)] NOTE—If the profits are lower than prescribed under section 44AE or the number of Vehicles owned at any time exceed 10 then other ITR, as applicable, has to be filed				E5	
E6	Salary and interest paid to the partners NOTE – This is to be filled up only by firms				E6	
E7	Presumptive Income u/s 44AE (E5-E6)				E7	
E8	Income chargeable under the head 'Business or Profession' (E2c+E4+E7)				E8	
INFORMATION REGARDING TURNOVER/GROSS RECEIPT REPORTED FOR GST Note – Please furnish the information below for each GSTIN No. separately						
E9	GSTIN No(s).				E9	
E10	Annual value of outward supplies as per the GST returns filed				E10	
FINANCIAL PARTICULARS OF THE BUSINESS Note—For E11 to E25 furnish the information as on 31 st day of March, 2025						
E11	Partners/ Members own capital				E11	
E12	Secured loans				E12	
E13	Unsecured loans				E13	
E14	Advances				E14	
E15	Sundry creditors				E15	
E16	Other liabilities				E16	
E17	Total capital and liabilities (E11+E12+E13+E14+E15+E16)				E17	
E18	Fixed assets				E18	
E19	Inventories				E19	
E20	Sundry debtors				E20	
E21	Balance with banks				E21	
E22	Cash-in-hand				E22	
E23	Loans and advances				E23	
E24	Other assets				E24	
E25	Total assets (E18+E19+E20+E21+E22+E23+E24)				E25	
NOTE ▶ Please refer to instructions for filling out this schedule (E15, E19, E20, E22 are mandatory and others if available)						

SCHEDULE IT DETAILS OF ADVANCE TAX AND SELF ASSESSMENT TAX PAYMENTS

	BSR Code						Date of Deposit (DD/MM/YYYY)						Challan No.						Tax paid					
	Col (1)						Col (2)						Col (3)						Col (4)					
R1																								
R2																								
R3																								

NOTE ► Enter the totals of Advance tax and Self-Assessment tax in D13 & D14**Schedule TCS Details of Tax Collected at Source [As per Form 27D issued by the Collector(s)]**

SI No	Tax Collection Account Number of the Collector	Name of the Collector	Details of amount paid as mentioned in Form 26AS	Tax Collected	Amount out of (4) being claimed
(1)	Col (1)	Col (2)	Col (3)	Col (4)	Col (5)
I					
ii					

NOTE ► Please enter total of column (5) of Schedule-TCS in D16**SCHEDULE TDS-1 DETAILS OF TAX DEDUCTED AT SOURCE FROM SALARY**

[As per Form 16 issued by Employer(s)]

	TAN	Name of the Employer	Income under Salary	Tax deducted
	Col (1)	Col (2)	Col (3)	Col (4)
S1				
S2				
S3				

NOTE ► Enter the total of column 4 of Schedule-TDS1 and column 6 of Schedule-TDS2 in D15**SCHEDULE TDS-2 DETAILS OF TAX DEDUCTED AT SOURCE ON INCOME OTHER THAN SALARY**

[As per Form 16 A issued or Form 16C or Form 16D furnished by Deductor(s)]

Sl. No.	TAN of the Deductor or PAN/Aadhaar No. of Tenant	Section under which TDS is deducted	Unclaimed TDS brought forward (b/f)		TDS of the current Fin. Year	TDS credit being claimed this Year (only if corresponding receipt is being offered for tax this year, not applicable if TDS is deducted u/s 194N)	Corresponding Receipt/withdrawals offered		TDS credit being carried forward
			Fin. Year in which deducted	TDS b/f	TDS Deducted	TDS Claimed	Gross Amount	Head of Income	
(1)	(2a)	(2b)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
i									
ii									

NOTE Enter the total of column 6 of Schedule TDS2 and column 4 of Schedule-TDS1 in D15

VERIFICATION

I, _____ son/ daughter of _____ solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in the return is correct and complete and is in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961. I further declare that I am making returns in my capacity as _____ (*drop down to be provided in e-filing utility*) and I am also competent to make this return and verify it. I am holding permanent account number . (*Please see instruction*)

Place:					Signature here →										
Date :															
If the return has been prepared by a Tax Return Preparer (TRP) give further details as below:															
TRP PIN (10 Digit)		Name of TRP		Counter Signature of TRP											
<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>															
Amount to be paid to TRP".															

[F. No. 370142/3/2025-TPL]

SURBENDU THAKUR, Under Secy., Tax Policy and Legislation

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) *vide* notification number S.O. 969 (E), dated the 26th March, 1962 and was last amended *vide* notification number G.S.R. 252(E), dated the 22nd April, 2025.

Explanatory Memorandum: - It is hereby certified that no person shall be adversely affected by giving retrospective effect to these rules.